


489

482 1R



6-7-18

एक रुपया का नया रूप प्रस्तावित
 प्रस्तावकारी अधिनियम 1908 की धारा
 46-47 के अन्तर्गत
 भारत: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
 (विशेषित स्टाम्प एक्ट) 1899 की धारा 3
 के अन्तर्गत 23-1-A With the permission
 of the L.R.D.C. Simdega
 दिनांक 23/6/2018
 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

By

order dated 23-6-18



Sujana Bara
 06/07/2018

विक्रय पत्र
=====

§ 18 लेख्यकारी:- श्री लाजस बाड़ा पिता स्व० बालेंत बाड़ा
 जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास- ग्राम- सामटोली
 महतो टोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।

..... पिकेता ।

आधार कार्ड संख्या- 8414 7202 4530

समर्थपत्र संख्या:- 324/2018

पैन कार्ड संख्या- ए.बी.भी.पी.बी. 3439एन.

अंचल द्वारा उचित
 प्रतिबंधित की शर्तों में
 इस पट्टी का प्रयोग संस्था
 नहीं हो 27/8/18

प्रमाणित
 N. P. Bara
 25/10/18

॥2॥ लेख्यधारिणी:- श्रीमती अलमा खखोपिता दोमनिक खखो
जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- खिजरी सामटौली,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार कार्ड संख्या- 6853 0127 2769

समथ-पत्र संख्या:- 325 / 2018

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा दिन के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबलिंग छः लाख सत्तर हजार रुपया अके
6,70,000/- रुपया होता है ।

॥5॥ सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी
वार्ड नं0 06, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 19 उन्नीस प्लॉट
नं0 2599 पच्चीस सौ निन्यानवे एकड़ 1.38 एकड़ में से 0.14
एकड़ चौदह डिसमिल जितकी चौहद्दी:-

उत्तर:- मकान विजय लकड़ा,

दक्षिण:- कच्चा रास्ता 8' चौड़ा नीज विक्रेता,

पूरब :- टांड इसी प्लॉट का अंग खरीदगी थोदोर तिर्की,

पश्चिम:- छउर कच्चा,

मालगुजारी 10 पैसा वस पैसा अलावे तेस सालाना ।

वर्णित विक्रीत गहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है जिसपर

मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है जितका डॉक्यूमेंट

नं0 0060000478 000सा. 0 है ।

Laxmus Bara
06/07/2018

नाम - कुलसिंघन बाई
पिता - सेवारिसिंघन बाई
ग्राम - मुण्डल टोली
पोस्ट - कानबेगा, थाना - हेरई वीर
जिल्हा - सिमडेगा, मारवाड 1
06/07/2018

मैं लेख्यकारी समर्थपूर्वक कहता हूँ कि मैं मैंने पूर्व में विक्रीत जमीन को बिक्री नहीं किया है ।

॥1॥ चूँकि मुझ लेख्यकारी को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

॥2॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर जाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वी बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥3॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन खतियानी है खतियान में करलुस उराँव वी बेनजामिन उराँव वगै० के नाम से नाम दर्ज है तथा नाम लगान पाने वाले का नाम मनेजर इनकम्बर्ड इस्टेट मोन जानीब टीकैत शीरी निवास हुलूम सिंह देव दर्ज है । वर्तमान जमाबन्दी करलुस उराँव वगै० के नाम से कायम है तथा मालशुजारी की रसीद भी उन्हीं के नाम से कटा है जो पंजी II के भौल्युम I, पेज 35 में दर्ज है । हमलोंगों का आपसी मौजिक भैयादी बँटवारा हो चुका है तथा आपसी मौजिक भैयादी बँटवारे के मुताबिक विक्रीत जमीन मेरे नीज हिस्से वी दखल की जमीन है जितपर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कब्जा है तथा किसी प्रकार का कगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है । खतियान के अनुसार जमीन कास्मी है ।

L. T. S. Sudha Lohra
Vill. Samtel, Mehto-
Toli, P.S. Simolga
Dist. Simolga
Date-6-7-18
06/07/2018
Joginder Baka



॥ 4॥ चूँकि हम ऊपर पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाह्वर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 49/2017-18 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.06.18 को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं० 631॥ii॥ दिनांक 23.6.2018 है।

॥ 5॥ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलदार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

॥ 6॥ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला केला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दो, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजह्दा से संबंधित नहीं है।

Lozhuks/Bara
06/07/2018

मैं लेख्यकारने यह घोषणा करता हूँ कि विक्रोत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Lajpus Bara
06/07/2018



उमावत किचा जता है अ लेख्यकारने
के बांधे एके पांचा कागदिया का
एके मरे लमडा मिचा जता है

James Marko
Ade
6-7-18

Lajpus Bara
06/07/2018

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Alma Xalxo
06-07-2018



उमावत किचा जता है अ लेख्यकारने
एके बांधे एके पांचा कागदिया का
एके मरे लमडा मिचा जता है

James Marko
Ade
6-7-18



6-7-18

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- James Maske
प्रारूपकर्ता Advocate
तारीख:- 6-7-2018

James Maske
06/07/2018

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो ऊपरोक्त रहित है ।

टंकक
मो० महेश्वर
06.07.2018
मो० महेश्वर
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।
अनुल रजक

1. विक्रेता, क्रेतिका एवं पहचानकर्ता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिसन रेह्युल का मूल प्रति,
3. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रतिलिपि,
4. खतियान का छायाप्रति,
5. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. डिजिटल मैप का छायाप्रति,
7. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
8. होल्डिंग टैक्स का छायाप्रति,
9. फॉर्म नं० 1 का मूल प्रति,